रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259752 CG-DL-E-31122024-259752

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725]

No. 7251

नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 30, 2024/ पौष 9, 1946 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2024/PAUSHA 9, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 787(अ). ---- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-। में क्रम संख्या 25 में " तालिका 1 " में, -
- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (5) की प्रविष्टियों में, ''31 दिसंबर, 2024 तक'' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ''31 दिसंबर, 2027 तक'' शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 2 के सामने, कॉलम (5) की प्रविष्टियों में, ''31 दिसंबर, 2025 तक'' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ''31 दिसंबर, 2028 तक'' शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

8462 GI/2024 (1)

- (iii) क्रम संख्या 3 के सामने, कॉलम (5) की प्रविष्टियों में, "31 दिसंबर, 2026 तक" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर "31 दिसंबर, 2029 तक" शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iv) कॉलम (7) की प्रविष्टियों में, "31 दिसंबर, 2027 तक" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर '31 दिसंबर, 2030 तक" शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

[फा सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू] वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. संख्या 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 3864(अ), तारीख 09 सितंबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2024

- **G.S.R. 787(E).** In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, in serial number 25, in Table 1",–
- (i) against serial number 1, in the entries under column (5), for the words and figures "Up to 31st December, 2024" the words and figures "Up to 31st December, 2027.", shall be substituted;
- (ii) against serial number 2, in the entries under column (5), for the words and figures "Up to 31st December, 2025" the words and figures "Up to 31st December, 2028.", shall be substituted;
- (iii) against serial number 3, in the entries under column (5), for the words and figures "Up to 31st December, 2026" the words and figures "Up to 31st December, 2029.", shall be substituted;
- (iv) in the entries under column (7), for the words and figures "Up to 31st December, 2027" the words and figures "Up to 31st December, 2030.", shall be substituted.

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW] VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Note.— The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and last amended vide notification S.O. 3864(E), dated the 9th September, 2024.